

हरियाणा सरकार परिवहन विभाग



कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिट
हेतू आवेदन पत्र

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधीन)

जारी कर्ता :-

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,

कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधीन

1. संक्षिप्त विवरण:—

हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली व उत्तर प्रदेश के मध्य 14 अक्टूबर 2008 को संविदा वाहनों (Contract Carriage) का आबंधित (unrestrictal) संचालन के लिए पारास्परिक समझौता सम्पन्न हुआ। इस समझौते की हरियाणा राजपत्र में दिनांक 16 दिसम्बर 2008 को अधिसूचना प्रकाशित की गई। प्रकाशित अधिसूचना के अर्न्तगत संविदा वाहनों के मार्ग परमिट आवंटन हेतु आवेदन किया जाना है।

2. संविदा (Contract Carriage) के लिए मार्ग परमिट

(क) मोटर कैब/टैक्सी: कान्ट्रैक्ट कैरिज के मार्ग परमिट आवंटन हेतु मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अध्याय 5 के अर्न्तगत परमिट आवंटन हेतु किसी भी समय आवेदन सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के कार्यालय में कर सकता है।

(ख) आटो रिक्शा:— आटो रिक्शा का कान्ट्रैक्ट कैरिज मार्ग परमिट के लिए हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली व उत्तरप्रदेश के मध्य हुए सामूहिक परिवहन पारास्परिक समझौता में संख्या निर्धारित की है। निर्धारित सीमा के अन्दर आवेदक परमिट आवंटन हेतु आवेदन कर सकता। परमितों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:—

1. Delhi	Haryana-Delhi	4000
2. Uttar Pradesh	Haryana- Uttar Pradesh	1000
3. Rajasthan-Haryana	Haryana-Rajasthan	500

3. संचालन क्षेत्र:—

(i) टैक्सी :- दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आने वाले पूर्ण क्षेत्र में अपनी वाहन का आटोरिक्सा आबंधित (unrestrictal) संचालन कर सकता है।

(ii) आटो रिक्सा :- दिल्ली, राजस्थान, उत्तरप्रदेश व हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले शहर गुडगावां, फरीदाबाद व बहादुरगढ़, सोनीपत से दिल्ली, फरीदाबाद से नोयडा (उत्तरप्रदेश) व रिवाड़ी से भिवाड़ी (राजस्थान) क्षेत्र में अपनी वाहन का आबंधित (unrestrictal) संचालन कर सकता है।

4. वाहन :- एन.सी.आर से संचालित वाहनों पर प्रचालित EURO-III मानक के अनुरूप तथा शुद्ध ईंधन का प्रयोग किया जायेगा।

5. कलर/लोगो :- संचालित वाहनो पर एन0सी0आर0 बोर्ड द्वारा निर्धारित रंग कोड तथा लोगो लागु होगा (अनुबन्ध I) ।

6. कराधान :-

(i) सभी वाहनों (संविदा) के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित/परमिट फीस/रोड टैक्स/यात्री कर/प्रतिहस्ताक्षर फीस समय-2 पर लागू दरों पर भुगतान योग्य होगी।

(ii) एकल बिन्दु कर तथा एक रूप कर दरें संविदा वाहन परमिट पर लागू होगी।

7. प्रतिहस्ताक्षर:- एन.सी.आर सीमा के भीतर किसी क्षेत्र से प्रविष्ट करने वाली एन.सी.आर में पंजीकृत टैक्सी तथा आटो रिक्शा के लिए किसी भी प्रकार का कर नहीं होगा तदापि इन वाहनों के आवंटित मार्ग परमिट पर एन.सी.आर. में पडने वाले राज्यो के निम्न सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को प्रतिहस्ताक्षर हेतू अधिकृत किया है से प्रतिहस्ताक्षर करना अपेक्षित होगा।

क्र० सं०	राज्य	आर०टी०ए० कार्यालय
1.	राजस्थान	अलवर
2.	उत्तरप्रदेश	1. गाजीयाबाद 2. मेरठ
3.	दिल्ली	1. एम.एल.ओ. बुराडी दिल्ली 2. उपायुक्त (ए.आर.वी.) दिल्ली
4.	हरियाणा	फरीदाबाद

8. वाहन की आयु:- वाहन की आयु सी.एन.जी वाहनों के लिए 15 वर्ष तथा डीजल संचालित वाहनों के लिए 8 वर्ष तक सीमित होगी।

9. परमिट आवंटन की प्रक्रिया

(क) मोटर कैब/टैक्सी

(1) आवेदक सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार गुडगांव, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, रिवाड़ी, झज्जर, मेवात व पानीपत के कार्यालय में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 73 के अर्न्तगत परमिट आवंटन हेतू आवेदन कर सकता है।

(2) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार कान्स्ट्रैक्ट कैरिज परमिट का आवंटन धारा 74 के अन्तर्गत निम्न शर्तों पर कर सकेगा।

(i) यानों का उपयोग विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अथवा विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर किया जा सकेगा।

(ii) यात्रियों की अधिकतम संख्या और समान का अधिकतम वजन जो यानों में या तो साधारणतया या विनिर्दिष्ट अवसरों पर या विनिर्दिष्ट समयों और मौसमों में ले जाया जा सकेगा।

(iii) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए किसी ठेका गाड़ी में यात्रीयों के साथ-2 अथवा यात्रियों के बिना माल ले जाया जा सकेगा।

(iv) मोटर टैक्सियों की दशा में विनिर्दिष्ट यात्री किराए या विनिर्दिष्ट दरों पर यात्री किराए लिए जाएंगे और यात्री किराया सारणी की एक प्रति यान पर प्रदर्शित की जाएगी।

(v) मोटर टैक्सियों की दशा में यात्रियों के सामान या विनिर्दिष्ट वजन निः शुल्क ले जाया जाएगा और यदि उससे अधिक सामान के लिए कोई प्रभार है तो वह विनिर्दिष्ट दर पर होगा।

(vi) मोटर टैक्सियों की दशा में, यदि कोई टैक्सी मीटर विहित किया गया है तो वह ठीक चालू हालत में लगाया जाएगा और बनाए रखा जाएगा।

(vii) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात

(अ) परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा।

(ब) परमिट के साथ अतिरिक्त शर्तें लगा सकेगा।


(ख) आटोरिक्शा

(i) आटो रिक्शा के परमिट आवंटन हेतु दिल्ली राज्य में संचालन के लिए राज्य में स्थापित सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, गुडगावां, फरीदाबाद व बहादुरगढ़, उत्तरप्रदेश राज्य में संचालन के लिए सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, फरीदाबाद तथा राजस्थान राज्य में संचालन के लिए सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार रिवाड़ी के कार्यालय में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 73 के अन्तर्गत आवेदन कर सकता है।

(ii) आटो रिक्शा संचालन हेतु कान्स्ट्रैक्ट कैरिज मार्ग परमिट की संख्या निर्धारित की हुई है। समय अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र यदि स्कोप से अधिक प्राप्त होते हैं तो परमिट का आवंटन ड्रा द्वारा किया जाना है।

(iii) सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार व मुख्यालय में कार्यरत सम्बन्धित अधिकारी की उपस्थिति में परमिट का आवंटन मोटर यान अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत दिए गए पैरा क (2) पर दी गई शर्तों के आधार पर किया जाएगा।

**NATIONAL CAPITAL REGION
REGIONAL PLAN-2021:CONSTITUENT AREAS**



Legend

- NCR Boundary
- State Boundary
- District Boundary
- District H.Q.

SUB-REGION	AREA (Sq kms)
NCT-DELHI	1,483
HARYANA	13,413
RAJASTHAN	7,829
U.P.	10,853
TOTAL	33,578



FORM HR NO. 23

(See Rule 56 of the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993)

Application for a contract carriage permit

To

The Regional Transport Authority,

In accordance with the provisions of Sections 69, 73, 74 of the Motor Vehicles Act, 1988, I/We the undersigned hereby apply for a permit under section 66 of that Act in respect of a contract carriage as hereunder set out:-

1. Full Name _____

2. Name of Father (in the case of an individual) _____

3. Address _____

4. Areas for which required _____

5. Brief Description of vehicle (1) _____

6. Seating Capacity:

(1) Here state whether single or double deck fixed roof or hood only, glass windows on side curtains in the case of motor cab enter accordingly.

7. Particulars of service to be performed by the contract carriage (not necessary in case of motor cab other than one used on a hill road) and the manner in which it is claimed that the public convenience will be served.

8. (In the case of motor cab). District or other area which the applicant desires to have appointed as the headquarters of vehicle).

9. Particulars of any stage carriage or contract carriage permit for similar authorization under the Motor Vehicles Act, 1939 or the Motor Vehicles Act, 1988 valid in the State and held by the applicant in respect of

(a) this vehicle _____

(b) any other vehicle _____

10. Particulars of any permit, public motor vehicles licence or similar authorization under the Motor Vehicles Act, 1939 or the Motor Vehicles Act, 1988 held by the applicant in respect of the use of any transport vehicles in India during the last four years which has been the subject of an order of suspension or cancellation.

11. I am/We are in possession of the vehicle, which is my/our property, (if the vehicle is not the property of the applicant, give particulars of the hiring agreement).
12. I/We have not yet obtained possession of the vehicle and I/We understand that the permit will not be issued until I/We have done so and produced the certificate of registration.
13. I/We intend to drive the vehicle.
14. I/We desire a permit valid for _____ years.
15. I/We hereby declare that the above statements are true and agree that they shall be conditions of any permit issued to me/us.

Signature or thumb
impression of applicant.

(Date)

To be filled in by the office of the Transport Authority

1. Date of receipt _____
circulation to members _____
2. Date of consideration at meeting _____
decision by Chairman _____
Granted.
3. Granted in modified form on the _____ day of _____ 19
Rejected.
4. Number of permit _____

Strike out inapplicable alternative throughout.